न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 189/2024

जगदीश पुत्र कालुराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा। :— प्रतिवादी

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र गोयलः **वादी**

राजपैरोकार : **प्रतिवादी**

निर्णय **दिनांक :** 24.03.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा भानगढ के खाता सं0 104/182 के खसरा संख्या 21, 22, 224, 225, 227, 228, 291, 292, 359, 360, 40 तथा 41 कुल खसरे 12 की 13.4810 है0 में 1873/13481 हिस्सा वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम पपूसिंह पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ दर्ज है। वादभूमि में वादी का नाम गलत दर्ज हो गया है जबकि वादी का सही नाम जगदीश पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ है। वादी के पेन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, में वादी का नाम जगदीश पुत्र कालूराम चला आ रहा है।

उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर वादी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। वादी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए वादी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम जगदीश पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया।

साक्ष्य वादी में जगदीश पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा भानगढ सम्वत 2075–78 खाता सं0 104/182 प्रदर्श 1, चित्रप्रति आधार कार्ड जगदीश 2ए प्रदर्शित किये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात व शपथ पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मोजा भानगढ के खाता सं0 104/182 के खसरा संख्या 21, 22, 224, 225, 227, 228, 291, 292, 359, 360, 40 तथा 41 कुल खसरे 12 की 13.4810 है0 में 1873/13481 हिस्सा वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम पपुसिंह पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ दर्ज है जबकि वादी का सही नाम जगदीश पुत्र कालूराम जाति [illegible] निवासी भानगढ है। वादी ने अपना वाद साबित करने के लिए साक्ष्य में दस्तावेज पेश [illegible] जगदीश पुत्र कालूराम के नाम से ही है तथा सहखातेदार कमल पुत्र ओमप्रकाश जाति [illegible] निवासी भानगढ, कृष्ण कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी [illegible] पेश किये। पटवारी पटवार हल्का भानगढ व तहसीलदार(राजस्व) भादरा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./25/2[illegible] दिनांक 21.03.2025 के मुताबिक नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। इस प्रकार वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:33:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamSca

जगदीश बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा भानगढ के खाता सं0 104/182 के खसरा संख्या 21, 22, 224, 225, 227, 228, 291, 292, 359, 360, 40 तथा 41 कुल खसरे 12 की 13.4810 है0 में 1873/13481 हिस्सा वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम पपुसिंह पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ दर्ज है जबकि उक्त खाते की भूमि में वादी का सही नाम जगदीश पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ है। अतः रोही मोजा भानगढ के खाता सं0 104/182 के खसरा संख्या 21, 22, 224, 225, 227, 228, 291, 292, 359, 360, 40 तथा 41 कुल खसरे 12 की 13.4810 है0 में 1873/13481 हिस्सा वादी पपूसिंह पुत्र कालुराम की जगह वादी का नाम जगदीश पुत्र कालुराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच पपूसिंह पुत्र कालुराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ या जगदीश पुत्र कालुराम जाति मेघवाल भानगढ के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में पपूसिंह पुत्र कालुराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ या जगदीश पुत्र कालुराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए पपूसिंह पुत्र कालुराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ या जगदीश पुत्र कालुराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:33:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamSca

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 189/2024

जगदीश पुत्र कालुराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ तहसील भादरा।

:–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:–प्रतिवादी

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेन्द्र कुमार गोयल व प्रतिवादी राजपैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा भानगढ के खाता सं0 104/182 के खसरा संख्या 21, 22, 224, 225, 227, 228, 291, 292, 359, 360, 40 तथा 41 कुल खसरे 12 की 13.4810 है0 में 1873/13481 हिस्सा वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम पपुसिंह पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ दर्ज है जबकि उक्त खाते की भूमि में वादी का सही नाम जगदीश पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ है। अतः रोही मोजा भानगढ के खाता सं0 104/182 के खसरा संख्या 21, 22, 224, 225, 227, 228, 291, 292, 359, 360, 40 तथा 41 कुल खसरे 12 की 13.4810 है0 में 1873/13481 हिस्सा वादी पपूसिंह पुत्र कालुराम की जगह वादी का नाम जगदीश पुत्र कालुराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच पपूसिंह पुत्र कालुराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ या जगदीश पुत्र कालुराम जाति मेघवाल भानगढ के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में पपूसिंह पुत्र कालुराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ या जगदीश पुत्र कालुराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए पपूसिंह पुत्र कालुराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ या जगदीश पुत्र कालुराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Kalpit

(कल्पित शिवरान) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:33:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner